

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6284...../

जबलपुर, दिनांक 19 /05/2025

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार श्री ध्रुव प्रसाद सेन, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 31/07/2025 पर पात्रता अनुसार 240 दिवस के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/6225...../

जबलपुर, दिनांक 19 /05/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2317/स्थापना/2025 इंदौर दिनांक 18/08/2025 के संदर्भ में श्री ध्रुव प्रसाद सेन, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर का गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :-अवकाश लेखा।

2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

\*\*\*\*\*